UPSI180007972020

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-100/2020

रामनरेश बनाम भगौती बख्श सिंह आदि।

दिनांकः-24.05.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उस्थित। वाद विन्दु सं०-2 व 3 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

निस्तारण वाद विन्दु सं०-2

वाद विन्दु सं०-2 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?** उक्त वाद विन्दु को साबित करने पर भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि वादी की ओर से जो वाद का मूल्यांकन किया गया है वह कम है, किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य इस स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादी के द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने वाद का मूल्यांकन 40,000/- रूपये निर्धारित कर वाद दाखिल किया गया है जो उचित व पर्याप्त है। अतः वाद विन्दु सं०-2 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद विन्दु सं०-3

वाद विन्दु सं०-3 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?** उक्त वाद विन्दु को साबित करने पर भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि वादिनी की ओर से प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह परिलक्षित हो सके कि प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने जो वाद का मूल्यांकन किया गया है उस पर न्यायशुल्क मु०-3408/-रुपये अदा किया गया है, वह उचित व पर्याप्त है। अतः वाद विन्दु सं०-3 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत किया जाता है।

अतः पत्रावली वास्ते नि० वाद बिन्दु सं०-4 दिनांक 07.08.2024 को पेश हो।

दिनांकः-24.05.2024

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०),
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O Code-UP3555

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2024.05.24 17:09:10 IST
Reason: Document Owner
Location: civil judge JD mahmoodabad sitapur